<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्वरेट, वाराणसी</u> <u>प्रेस-नोट</u>

<u> दिनांक:-11.06.2024</u>

विषय:-ऑपरेशन किनवक्शन के तहत अभियुक्त पवन बिन्द को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अविध व कुल 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 242/2012 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पवन बिन्द पुत्र खड्डुर उर्फ हरिनारायण बिन्द निवासी डी-59/225 A-5 निराला नगर शिवपुरवा सिगरा वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.06.2024 को मा0 न्यायालय JM-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त पवन बिन्द उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अविध के कारावास व कुल 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त जोन-काशी कमिश्वरेट-वाराणसी